न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 245/2017
दिनांक 29.11.2017
इस न्यायालय में दर्ज प्र.स. 52/22
प्रकरण दायर दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 01.04.2022

उनवान

1. श्री चम्मन लाल पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा ।

–: वादी

बनामः–

1. श्री मूलचन्द पुत्र भौरया जाति मीना निवासी कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
3. उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बसवा।

:– प्रतिवादीगण

" दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा "

::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का न्यायालय उप–जिला कलेक्टर वादीकुई में दिनांक 29.11.2017 को पेश किया कि ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 121 पुरानी 119 खसरा नम्बर 274 रकबा 0.10 है0 खसरा नम्बर 353 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 354 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 355 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 356 रकबा 0.35 है0 खसरा नम्बर 359 रकबा 0.11 है0 खसरा न0 360 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 909 रकबा 0.04 है0 खसरा न. 910 रकबा 0.09 है0 ख.न. 911 रकबा 0.11 है0 ख.न. 980 रकबा 1.28 है0 ख.न. 980/1136 रकबा 0.01 है0 खसरा न. 983 रकबा 1.00 है0 ख.न. 985 रकबा 0.35 है0 ख.न. 986 रकबा 0.29 है0 ख.न. 1066 रकबा 0.37 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.76 है वार्षिक लगानी 108 रूपये 51 पैंसे स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम सम्बोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 का 1/2 हिस्सा है लेकिन समलित में खातेदारी चली आ रही है भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है मन समाई से वांट कर पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर मुफिद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है कोई भी पक्ष राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी एक दुसरे की सहमती के विना प्राप्त नही कर सकता है एवं फसल काटते समय व वोते समय लगान जमा कराते समय विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी सूरत में वादी भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के हिसाब से अपने 1/2 हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है व लगान का भी इसी कदर वंटवारा करवाकर अलग–अलग पास बुके जारी करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी न0 1 के मनमें अव बददेहान्ति पैदा हो रही है और वह विना तकास्मा करवाये ही सरस भूमि में पुख्ता निमार्ण करके कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर रहा है तथा सरस भूमि में पुख्ता निमार्ण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है व लोगो को प्लाट काट कर बेचान करने पर आमादा हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी न. 1 से कहां कि आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादी न0 2 के यहां चलकर भूमि मुतदाविया का तकास्मा करवालो तो प्रतिवादी न.1 साफ इंकार हो गया और जवरन लाठी के वल पर पुख्ता निमार्ण का कार्य शुरू कर दिया व वादी को उसके हिस्से के अनुसार काश्त करने में मजाहमत पैदा करने लग गया ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादी न01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द करे एवं विवादित भूमि का सरस

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

Scanned with CamScanner

नरस के हिसाब से तकास्मा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे तथा लगान का भी इसी प्रकार बंटवारा किया जाकर अलग-अलग पास बुक जारी करवाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बांदीकुई दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन प्रतिवादीगण तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर विद्वान अभिभाषक गोपाल बन्धु का वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 05.03.2018 उभय पक्ष द्वारा वाद पत्र पर विभाजन हेतु सहमती होने पर दावा वादीगण प्रार्थमिक रूप से डिक्री किया गया तहसीलदार बसवा को विवादित भूमि दोनो पक्षो की मौजूदगी में सरस -नरस रास्ता आबादी चाह आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने आदेश जारी किये गये पर्चा प्राथमिक डिक्री जारी किया गया। तहसीलदार बसवा द्वारा दिनांक 11.5. 2018 कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय को भिजवाये गये दिनांक 07.09.2018 को वादी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पर एतराज प्रस्तुत किया गया दिनांक 27.01.2020 कुर्रेजात एतराज प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वादी द्वारा प्रस्तुत एतराज कुर्रेजात प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तहसीलदार बसवा को स्वंय विवादित आराजी का मौके पर विधिवत पक्षकारान को सूचित कर उनकी मौजुदगी में प्राथमिक डिक्री के अनुसार रास्ता आबादी चाह आदि का ध्यान में रख कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे एवं विभाजन प्रस्ताव पर एवं पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाकर अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ भिजवाने हेतु आदेश जारी किया गया था। दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्राम पंचायत कोलाना में तहसीलदार बसवा द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पुनः पत्रावली मे उपलब्ध करवाये गये। जो निम्न प्रकार है:-

हाल जमा बंदी में दर्ज खातेदारी

क.स	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	चमम्न मूलचन्द पि0 भौरया हि वरा जाति सा. देह खातेदार	353	0.18	मु.जमा
		354	0.17	मु.जमा
		355	0.02	मु.जमा
		356	0.35	मु.जमा
		359	0.11	मु.जमा
		360	0.29	मु.जमा
		909	0.04	मु.जमा
		910	0.09	मु.जमा
		911	0.11	मु.जमा
		980	1.28	मु.जमा
		980/1136	0.01	मु.जमा
		983	1.00	मु.जमा
		985	0.35	मु.जमा
		986	0.29	मु.जमा
		1066	0.37	मु.जमा
	योगः-	किता 15	4.66	
2 खाता संख्या 242	वीना देवी पत्नी रामदयाल हि1/2 मूलचन्द पुत्र भौरया हि. 1/2 जाति मीना सा0 देह खातेदार	274	0.10	
		किता 1	0.10	

कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण

क.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	मूलचन्द पुत्र भौरया जाति मीना सा. देह खातेदार	274/1	0.05	मु.जमा
		354/1	0.07	मु.जमा
		356	0.35	मु.जमा
		360/1	0.20	मु.जमा
		909	0.04	मु.जमा
		910/1	0.05	मु.जमा
		1066/1	0.18	मु.जमा
		980/1	0.61	मु.जमा
		986	0.29	मु.जमा
		983/1	0.50	मु.जमा
	योग	किता 10	2.34	
2	चमम्न पुत्र भौरया जाति मीना सा0 देह खातेदार	353	0.18	मु.जमा
		355	0.02	मु.जमा
		354/2	0.10	मु.जमा
		359	0.11	मु.जमा
		360/2	0.09	मु.जमा
		911	0.11	मु.जमा
		910/2	0.04	मु.जमा
		1066/2	0.19	मु.जमा
		983/2	0.40	मु.जमा
		983/3	0.10	मु.जमा
		985	0.35	मु.जमा
		980/2	0.60	मु.जमा
	योग	किता 12	2.2920	
3	मूलचन्द, चम्मन पि. भौरया हि. वरा. जाति मीना सा. देह खातेदार	980/3	0.07	गै.मु. रास्ता
		980/1136	0.01	गै. मु. चाह
		किता 2	0.08	
4	वीना देवी पत्नी रामदयाल जाति मीना सा. देह खातेदार	274/2	0.05	मु.जमा.
		किता 1	0.05	

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) ...

Scanned with CamScanner

तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात का अवलोकन उभय पत्र वकीलो का करवाया गया उक्त कुर्रजात पर
वादी द्वारा निम्न प्रकार एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प दिनांक 7.09.2018 को पूर्व में पत्रावली पर आये
कुर्रजात के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा वापिस मौके के कुर्रजात मगवाये गये थे किन्तु
हल्का पटवारी द्वारा मौके पर वादी की अनुपस्थिति में कुर्रजात तैयार कर मौके की वास्तविक स्थिति से भिन्न रिपोर्ट
पत्रावली पर तैयार कर पेश की है जिस पर वादी को सख्त ऐजराज भी है। अगर वास्तविक कुर्रजात पत्रावली पर दर्ज
नहीं हुये तो उससे वादी को न्याय नही मिल पायेगा ऐसे में वादी की निशा देही से वादी की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि
के वास्तविक एवं निष्पक्ष कुर्रजात मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही कर दिनांक
29.03.2022 को बहस की गई प्रतिवादी वकील द्वारा अवगत करवाया गया है कि कुर्रजात सही बनाये गये है सभी भूमि
में वादी को हिस्सा दिया गया है। खरीज करने योग्य बताया गया।

हमने प्राप्त कुर्रजात एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात पर अंकन है कि उक्त प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। जहां तक वादी द्वारा उनकी निशा देही से कुर्रजात बनाने का निवेदन किया गया है। कुर्रजात बनाते समय सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखना पढ़ता है एक पक्ष के आधार पर बटवारा नही किया जाता है। वादी द्वारा ऐतराज प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नही दिया है जिससे तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत कुर्रजात प्रस्ताव गलत साबित हो वादी द्वारा प्रस्तुत कुर्रजात एतराज प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने खारिज योग्य समझते है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत ऐतराज कुर्रतजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 121 पुरानी 119 खसरा नम्बर 274 रबवा 0.10 हैO खसरा नम्बर 353 रकबा 0.18 हैO खसरा नम्बर 354 रकबा 0.17 हैO खसरा नम्बर 355 रबबा 0.02 हैO खसरा नम्बर 356 रकबा 0.35 हैO खसरा नम्बर 359 रकबा 0.11 हैO खसरा नO 360 रकबा 0.29 हैO खसरा नम्बर 909 रकबा 0.04 हैO खसरा न. 910 रकबा 0.09 हैO ख.न. 911 रकबा 0.11 हैO ख.न. 980 रकबा 1.28 हैO ख.न. 980/1136 रकबा 0.01 हैO खसरा न. 983 रकबा 1.00 हैO ख.न. 985 रकबा 0.35 हैO ख.न. 986 रकबा 0.29 हैO ख.न. 1066 रकबा 0.37 हैO कुल किता 16 कुल रकबा 4.76 हैO में दिनांक 03.12.2021 को तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव आदेश का पार्ट रहेगा। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदामद करे, अंतीम पर्चा डिकी एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.04.2020 खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(भावना शर्मा)
आरएएस
सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक
बांदीकुई जिला दौसा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner